भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 822

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम में संशोधन

822. श्री सु.वेंकटेशन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य विधान संभा के 28 जून, 2024 के उस संकल्प की जानकारी है जिसमें केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के एनईईटी में छूट देने संबंधी विधेयक को अनुमोदित करने और राष्ट्रीय स्तर पर एनईईटी परीक्षा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु विधान सभा के उक्त संकल्प पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्तर पर एनईईटी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****